मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 26/05/2022

विभाग के आदेश क्रमांक एफ-7-13/2018/छे दिनांक 04.10.2018 में मानदेय की दरों में संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों/ सेवादारों के मानदेय का भुगतान निम्न शर्तों के अधीन करने की स्वीकृति दी जाती है :-

(1) जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को रूपये 5000/- (पांच हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए।

(2) जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है उन मंदिरों के पुजारियों को रूपये 2500/- (दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए।

(3) जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिर के पुजारियों को रूपये 2000/- (दो हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए।

(4) जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को अलग से शासन द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।

(5) यह आदेश दिनांक 01.05.2022 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुष्पा कुलेश)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

पृ.क्र. एफ 7-13/2018/06 भोपाल दिनांक 26/05/2022

प्रतिलिपि :-

1. शासन के समस्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त संभागायुक्त।
5. समस्त कलेक्टर्स।
6. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग।
7. निज सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण (समस्त)।
8. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
9. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
10. निज सहायक, प्रमुख सचिव, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग।
11. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की प्रकाशनार्थ।
12. गार्ड फाईल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग